न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 46/2016 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00069

उनवान

1. रामकरन पुत्र छोटेलाल
2. चन्द्रा पत्नि रामकरन

जाति जोगी निवासीयान नैवाडी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. टिलुआ पुत्र फैली जाति जोगी
2. सरूं पुत्र फैली जाति जोगी
3. नन्दराम पुत्र फैली जाति जोगी
4. शिवचरन पुत्र छोटेलाल जाति जोगी
5. अमरा पुत्र चिरमोल, जाति जाटव

निवासीयान ग्राम नैवाडी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसील भुसावर।
7. प्रबन्धक अलवर भरतपुर ग्रामीण आंचलिक बैंक, शाखा खेडली जिला अलवर।
8. प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा छौंकरवाडा।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भुसावर दि0 04.06.2016 प्र.सं. 41/2013 उनवानी रामकरन बनाम टिलुआ।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हरीदत्त शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय दिनांक–30.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा बाबत् बॅटवारा काश्त एवं हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 चालाक एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जो आये दिन विवादित आराजी की काश्त को लेकर झगडा करते हैं। वादी/अपीलाण्ट का अब सामलात काश्त करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कर अलग से खाता कायम करते हुए, रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 02.08.2011 को प्राथमिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार वैर से कुर्रे प्रस्ताव तलब करते हुए, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2016 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार वैर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये नियुक्त किया था। तहसीलदार वैर का यह कर्तव्य था कि वह पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। किन्तु तहसीलदार वैर ने ना तो पक्षकारान को कोई सूचना ही दी एवं ना ही स्वयं मौके पर गये। पटवारी हल्का ने रैस्पो0 से साज कर मनमाने तरीके से विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट को विवादित आराजी में उनके निहित हिस्से से कम रकवा दिया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी ऑख बंद कर उक्त विभाजन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, जो विधिमान्य नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई एवं अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0डी0 2017 पेज 473 का हवाला देते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाने तथा प्रकरण पुनः विधिसम्मत विभाजन प्रस्ताव तलब कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं तहसीलदार द्वारा उनको प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किया जाना स्पष्ट नहीं है एवं ना ही उपविभाजित भूमि(बटा नम्बरों) को पृथक–पृथक रंगो में ही दर्शाया गया है। आर0आर0डी0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017 पेज 679 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन हेतु प्रस्तावो का, तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रपोजल तैयार करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2016 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में सभी पक्षकारो को सूचित कर विभाजन के नियमों अनुसार पुनः कुर्रेजात रिर्पोट तलब करते हुए एवं प्राप्त कुर्रेजात पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करें।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official